न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं.1, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील कुमार गोयल, R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 374/22, CIS No-1462/22

सन्नी मलिक पुत्र सुरेश मलिक, उम्र करीब 40 साल, निवीस 4 क 275, शिवाजी पार्क, पुलिस थाना शिवाजी पार्क, जिला अलवर (राज.)

....प्रार्थी/अभियुक्त

—बनाम—

राज. सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, अलवर। **...अप्रार्थी**

'' जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. प्र.सू.रि.सं. 313/22 पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर, धारा 143,341,323,325,365,379 भा.दं.सं.''

उपस्थितः—

1. विद्वान अधिवक्ता श्री आमीन खॉ, वास्ते प्रार्थी—अभियुक्त
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत, वास्ते राज्य

—: आदेश :— दिनांकः 09.11.2022

प्रार्थी—अभियुक्त सन्नी मलिक की ओर से जरिये अधिवक्ता यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. सर्वप्रथम श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, अलवर के समक्ष पेश किया गया, वहॉ से विधिवत निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी संदीप गुप्ता ने पुलिस थाना—शिवाजी पार्क, अलवर में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 14.10.2022 को करीब 09 पी.एम. पर वह अपने दोस्त आकाश उर्फ अक्की के साथ गणपति विहार, तिजारा फाटक, अलवर जा रहा था, रास्ते में कजारिया टाईल्स शौरूम के सामने वाली गली में पीछे से सिल्वर रंग की ब्रिजा गाडी आई, जिसमें सन्नी मलिक, मोहित मलिक, राजा व मंगतू बैठे हुए थे, तथा तीन बाईकों पर दो—दो लडके बैठे हुए थे, आये, और गाडी उसकी मोटर साइकिल के आगे लगा दी, उसकी मोटर साइकिल में लात मार कर, नीचे गिरा दिया, आकाश के साथ मारपीट करने लगे, वह छुडा कर भागा, तो उसका पीछा किया, उसके चिल्लाने पर

कॉलोनी के लोगों ने उसे बचाया, उसका मोबाइल एवं आकाश को ब्रिजा गाडी में पटक कर, मारपीट करते हुए ले गये,.....आदि।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्र.सू.रि.सं. 313/22 दर्ज कर, दौराने अनुसंधान अभियुक्त को गिरफ्तार कर, अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त का धारा 437 दं.प्र.सं. को जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। जिस पर यह जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

उभयपक्ष की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने तर्क दिये हैं कि प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है, उससे कोई बरामदगी या अनुसंधान होना शेष नहीं है, प्रार्थी के लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडेगा, उसका आरोपित आरोपों से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। पूर्व में सह–अभियुक्तगण मोहित, अमित उर्फ भयु एवं अमन मलिक की जमानत स्वीकार हो चुकी है, जिनसे प्रार्थी का प्रकरण भिन्न नहीं है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशों की पालना करने हेतु तैयार है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रयुत्तर में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की ।

थानाधिकारी, पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर द्वारा पेश तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को सह–अभियुक्तगण के साथ घटना कारित करने वाले के रूप में स्पष्ट रूप से नामजद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार धारा 143, 341, 323, 325, 365 व 379 भा.दं.सं. का अपराध बखूबी साबित माना है, जो अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह सही है कि पूर्व में सह–अभियुक्तगण मोहित, अमित उर्फ भयु एवं अमन मलिक की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। लेकिन अभियुक्त सन्नी मलिक का पूर्व का आपराधिक चरित्र है और उसके विरूद्ध पूर्व में निम्न 17 आराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैः–

(1) F.I.R.No-78/07, थाना शिवाजी पार्क, अलवर धारा 323,427 IPC

(2) F.I.R.No- 22/15, थाना GRP अलवर, धारा 379 IPC

(3) F.I.R.No-44/14 थाना NEB, अलवर, धारा 341, 323, IPC

(4) F.I.R.No-329/09 थाना शिवाजी पार्क, अलवर, धारा 341, 323 IPC

(5) F.I.R.No- 948/11 थाना कोतवाली, अलवर, धारा 341,323, 324 IPC

(6) F.I.R.No-10/13 थाना GRP अलवर, धारा 379, IPC

(7) F.I.R.No-36/12 थाना GRP गुडगावां, धारा 294. IPC

(8) F.I.R.No-171/13 थाना शिवाजी पार्क, अलवर धारा 341, 323/34 IPC

(9) F.I.R.No- 90/14 थाना शिवाजी पार्क, अलवर, धारा 324,452,392 IPC

(10)F.I.R.No-615/14 थाना विहार दिल्ली, धारा399,402 IPC &25/54/59 Arms Act

(11) F.I.R.No-03/07 थाना GRP अलवर, धारा 379, IPC

(12) F.I.R.No-19/15 थाना GRP अलवर, धारा 4/25 Arms Act

(13) F.I.R.No-14/16 थाना शिवाजी पार्क, अलवर धारा 341, 323,427 IPC

(14) F.I.R.No-649/07, थाना कोतवाली, अलवर, धारा 379 IPC

(15) F.I.R.No-257/10, थाना कोतवाली, अलवर, धारा 143,323,341,325 IPC

(16) F.I.R.No-309/16 थाना शिवाजी पार्क, अलवर धारा 387 IPC

(17) F.I.R.No-118/16 थाना ततारपुर, अलवर, धारा 4/25 Arms Act

इस प्रकार प्रार्थी के पूर्व के आपराधिक चरित्र तथा उसके विरूद्ध पूर्व में दर्ज 17 आपराधिक प्रकरणों की संख्या को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह–अभियुक्तगण से भिन्न है। अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए न्यायालय का समाधान है कि आपराधिक कृत्यों में लिप्त आदतन अपराधियों के प्रति जमानत के प्रावधान यदि सरल रखे जाते हैं, तो समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और आपराधिक गतिविधियों को पुनः संचालित किये जाने की स्थितियॉ उत्पन्न होती है। प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत के अधिकार और समाज में आम नागरिकों की शांति पूर्वक एवं सुरक्षित माहौल में रहने के उनके अधिकारों के मध्य संतुलन बनाना चाहिए और आपराधिक छवि एवं व्यक्तित्व वाले अभियुक्तों के प्रति विधि की सरल व्याख्या से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त सन्नी मलिक की ओर से पेश जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत **धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है।

(सुनील कुमार गोयल)

आदेश आज दिनांक **09.11.2022** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार गोयल)